BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV 14th August 2013 No. 10

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के साथ चैम्बर में संवाद

• दस दिनों के अन्दर बनेगा वरीय नागरिकों का पासपोर्ट • ऑन लाईन पुलिस रिपोर्ट शीघ्र

संवाद कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बांयीं ओर क्रमशः क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री आनन्द कुमार एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन। दांयीं ओर महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा तथा कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 2 अगस्त, 2013 को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री आनन्द कुमार के साथ चैम्बर सदस्यों का एक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपने सुझाव रखे। श्री अग्रवाल ने पासपोर्ट आवेदन भरने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में एक ''सहायता केन्द्र'' खोलने, ऑनलाईन पुलिस रिपोर्ट सेवा सभी जिलों में शुरू करने, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व से पासपोर्ट धारकों को पुलिस वेरिफिकेशन में छूट प्रदान करने, पासपोर्ट कार्यालय के पास से अवांछित तत्वों को हटाने के लिए सघन जांच अभियान चलाने, पते के प्रमाण के लिए दिये गये दस्तावेज में माता या पिता के नाम से दिये गये पते को प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान करने, पासपोर्ट आवेदन-पत्र भरते समय एक ही आईडी पर तीन से ज्यादा व्यक्तियों के नाम दर्ज करने की मान्यता प्राप्त करने तथा गैर-सरकारी संगठनों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा शिविर लगाकर उनके सदस्यों एवं परिवार वालों के लिए पासपोर्ट बनाने, अपराध साबित होने के बाद ही किसी का पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया रोके जाने तथा पासपोर्ट कार्यालय में अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए चैम्बर के सदस्यों के लिए एक अलग से विशेष काउंटर की व्यवस्था करने आदि का सुझाव रखा।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने सुझाव दिया कि तत्काल स्कीम के अंतर्गत जिस तरह सरकारी विभाग के सचिव, सरकारी सेवा के अन्य वरीय अधिकारियों, FICCI, ASSOCHEM एवं CII को यह सुविधा है कि उसके द्वारा अभिप्रमाणित करने पर जल्द ही पासपोर्ट बन जाता है, उसी तरह चैम्बर को भी यह सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त कई सदस्यों ने भी सुझाव दिये ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री आनन्द कुमार ने सदस्यों को सुनने के बाद कहा कि अब आधुनिकता का दौर आ गया है। ऑनलाईन पासपोर्ट आवेदन देना एक सरल प्रक्रिया है। पासपोर्ट बनाने में पहले जो समस्या थी, वह लगभग समाप्त हो चुकी है। आज की तारीख में पासपोर्ट कार्यालय इतना अपडेट कर दिया गया है कि मात्र 50 दिनों में लोगों का पासपोर्ट बन जा रहा है। यदि आप 60 या उससे उपर के हैं और पासपोर्ट बनानी है तो उसके लिए अपने बेटा-बेटी के पासपोर्ट की फोटो कॉपी लगायें। आपका पासपोर्ट तत्काल बन जायेगा। इसके बनने में मात्र सात से दस दिन का समय लगेगा। इसके अलावे अन्य परेशानियों से भी बचेंगे। पासपोर्ट के आवेदन के लिए ऑनलाईन शुल्क जमा करने की प्रक्रियागत 5 जुलाई से शुरू हुई है। इससे तत्काल पासपोर्ट बनवाने वालों को काफी मदद मिलेगी। ऐसे आवेदक को तुरंत ही एप्वाइंटमेंट मिल जाता है। वे अनावश्यक भीड़ से बचे रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में 77 पासपोर्ट कार्यालय हैं। पटना पासपोर्ट कार्यालय देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय

शेष पृष्ठ 7 पर....

हमारे सामने तो उत्तराखंड का उदाहरण है : चैंबर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की खबर कई उम्मीदें देती है। इसका फायदा यह है कि नई औद्योगिक इकाइयों को पांच वर्षों तक उत्पाद कर से पूरी तरह से छूट मिल जाती है और फिर यह छूट 30 प्रतिशत की हो जाती है। यह बड़ी राहत होती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि हमारे सामने तो उत्तराखंड का उदाहरण है। जिस समय उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं था उस समय हरिद्वार को छोड़कर कहीं भी वहां कोई औद्योगिक इकाई नहीं थी। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद अभी हाल यह है कि ऐसी शायद ही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या एफएमसीजी से संबंधित कंपनी हो जिसकी यूनिट उत्तराखंड में नहीं हो। एक हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ उत्तराखंड में आ गई हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.8.2013)**

LARGER CORPUS TO ASSIST INDUSTRY, INFRA EXPANSION

In a move to ensure time-bound land acquisition for the creation of a land bank-both for industrial and infrastructure development-the state government has decided to increase the size of the corpus fund for the purpose to Rs 2500 Crore.

The decision has been taken to enlarge the benefits of State Industrial Promotion Policy and also meet the demand for land infrastructure and development activities.

The cabinet clearance to the industries department proposal to increase the fund from Rs 1500 crore to Rs 2500 crore came last Tuesday, with an approval to release an additional sum of Rs 500 crore for this fiscal.

Adequate funds would now be available with district land acquisition magistrates for timely payment of compensation to land owners whose lands have been acquired by the government.

Welcoming the move, Bihar Chamber of Commerce President P. K. Agrawal said, "The availability of funds will expedite land acquisition. And once, payment is made and possession is taken, the process is wrapped up to the advantage of the government, which would also be spared of future disputes as is being witnessed in Bihta industrieal area." ***(Source: H.T, 30.7.2013)***

हादसे में मौत पर व्यापारियों के परिजनों को अनुदान

सूबे के व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर राज्य सरकार उनके परिजनों को अब अनुदान देगी। अनुदान की राशि दो लाख होगी। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह योजना अगले महीने से लागू हो जाएगी। यह राशि तीन महीने के अंदर व्यापारियों के परिजनों को मिल जाएगी।

बताया जाता है कि यह अनुदान उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा जो वाणिज्य कर विभाग से रजिस्टर्ड हैं और नियमित टैक्स दे रहे हैं। नियमित टैक्स नहीं देने वाले व्यापारियों के परिजनों को अनुदान की राशि नहीं मिलेगी क्योंकि कई डीलर ऐसे हैं जिन्होंने विभाग से निबंधन तो करा लिया है पर टैक्स नहीं देते हैं।

राज्य के व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने व्यवसायी दुर्घटना बीमा योजना 2009-10 में शुरू की थी। लगभग दो साल पहले यह जिम्मेवारी आईसीआईसीआई लुम्बार्ड को मिली थी। इसके तहत कुल 50 हजार व्यापारियों का बीमा किया गया था। इसी आधार पर पिछले साल भी व्यापारियों के बीमा के लिए टेंडर निकाला गया था। इसमें कई इंश्योरेंस कंपनियों ने टेंडर भरा था परंतु सरकार ने निर्णय लिया कि यह काम बीमा कंपनी की बजाय खुद सरकार करेगी। बताया जाता है कि श्रम विभाग द्वारा जिस तरह आप्रवासी की मृत्यु पर एक लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को दी जाती है। उसी आधार पर यह भी योजना बनायी गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.7.2013)

अपने प्रॉपर्टी टैक्स का खुद करें निर्धारण

अब अपने प्रापर्टी टैक्स का निर्धारण स्वयं करें और उसे ऑन लाइन दाखिल करें। आम आदमी विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रापर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर विकास व आवास विभाग ने प्रापर्टी टैक्स में सेल्फ एसेसमेंट सिस्टम की पहल की है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.7.2013)

ट्रांसपोर्टरों को मिली थोड़ी राहत

वाणिज्य कर विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को थोड़ी राहत दे दी है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने के समय सर्विस टैक्स नम्बर देने की जरूरत नहीं है। वाणिज्य कर विभाग ने ट्रांसपोर्टरों के रजिस्ट्रेशन फार्मेट पर सर्विस टैक्स नम्बर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा विभाग ने टीन नम्बर की भी अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि राज्य के व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर अब भी विभाग से नाराज है। व्यापारियों का कहना है कि विभाग ने हाल में कई ऐसे निर्देश जारी किए हैं जो नियम के विरुद्ध है। गत 22 जुलाई को वाणिज्य कर विभाग ने ट्रांसपोर्टरों पर लगाम कसने के लिए रोड परमिट डी- VIII में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को वाणिज्य कर विभाग में निबंधित करना अनिवार्य कर दिया था। इसमें विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी ट्रांसपोर्टरों को सर्विस टैक्स नम्बर देना अनिवार्य कर दिया था। इससे व्यापारियों की परेशानी काफी बढ़ गई थी। इधर, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के . अग्रवाल ने भी विभाग से मांग की थी कि सर्विस टैक्स नम्बर को अनिवार्य से हटाकर ऑप्सनल में डाल दिया जाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में छोटे पैमाने पर काम करने वाले सभी ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए सर्विस टैक्स के अन्तर्गत निबंधन अनिवार्य नहीं है। ट्रांसपोर्टर के मामले में सर्विस टैक्स का पेमेंट करने की जिम्मेवारी सर्विस रिसिवर का है, सर्विस प्रोवाइडर का नहीं। **(साभार: हिन्दुस्तान, 27.7.2013)**

व्यापारियों को मिला एक और मौका

अगर आप व्यापारी हैं और सालाना 40 लाख रुपये तक कारोबार करते हैं तो अविलंब लघु करदाता योजना के अन्तगंत वाणिज्य कर विभाग से निबंधन करा लें अन्यथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा कभी भी कार्रवाई हो सकती है।

विभाग ने छोटे व्यापारियों (जो विभाग से निर्बंधित नहीं हैं) को बचने के लिए एक मौका दिया है। विभाग का मानना है कि अगर छोटे व्यापारी खुद लघु करदाता योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आते हैं तो ऐसे व्यापारियों पर पूर्व में किए गए कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या है लघु करदाता योजना : राज्य के छोटे व्यापारी जो सालाना 40 लाख से कम का कारोबार करते हैं वे लघु करदाता योजना के अन्तर्गत विभाग से निबंधन करा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस योजना में वहीं व्यापारी शामिल हो सकते हैं जो राज्य के अंदर ही खरीद-बिक्री का कारोबार करते हैं। अगर व्यापारी राज्य के बाहर से एक रुपया का भी सामान मंगाता है तो वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।

सुविधाएं

सालाना 10 हजार टैक्स : जो व्यापारी सालाना 40 लाख रुपये तक कारोबार करते हैं और खरीद-बिक्री राज्य के अन्दर ही करते हैं ऐसे व्यापारी विभाग को 10 हमार रुपये टैक्स देकर पूरे एक साल तक कारोबार कर सकते हैं • **साल में एक बार रिटर्न :** सालाना 10 हजार टैक्स देने वाले स्कीम में आने वाले व्यापारियों को वर्ष में एक ही विवरणी दाखिल करनी होगी • **ऑडिट से निश्चिंत :** सालाना 10 हजार टैक्स देने वाले व्यापारियों के कारोबार की किसी प्रकार की अकेक्षण (ऑडिट) नहीं होगी। साथ ही ऐसे व्यापारियों की असेसमेंट भी नहीं होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.7.2013)

एमवीआर में वृद्धि से रजिस्ट्री में कमी

एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) में की गई भारी वृद्धि का असर निबंधन कार्यालय पर दिख रहा है। एमवीआर लागू होने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस से भीड़ अचानक गायब हो गयी। पिछले ढाई महीने से जिला निबंधन कार्यालय में सन्नाटा है। इस दौरान किसी भी दिन रजिस्टर्ड होने वाले दस्तावेजों की संख्या 100 के पार नहीं पहुंची। इस दौरान निर्बंधित होने वाले फ्लैटों की संख्या में काफी गिरावट आई है। रजिस्टर्ड होने वाले दस्तावेजों में एग्रीमेंट पेपर की संख्या सर्वाधिक है।

इस बार विभाग ने पटना जिले को 640 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है। फ्लैटों के निबंधन में आई गिरवट का एक बड़ा कारण पटना नगर निगम द्वारा बिल्डरों पर की गई कार्रवाई भी मानी जा रही है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2013)**

जीएसटी के दायरे में रहें पेट्रोल, डीजल व शराब

वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) कानून में संवैधानिक तौर पर किसी भी उत्पाद को इसके दायरे से बाहर रखने के पक्ष में संसदीय समिति नहीं है। समिति का सानना है कि जिन उत्पादों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना है, उनका फैसला जीएसटी काउंसिल को ही करना चाहिए। जीएसटी कानून पर संसद में पेश वित्तीय मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की रियायत सविधान संशोधन विधेयक में नहीं दी जा सकती। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति ने कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन (एटीएफ) और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को कहा था। संसदीय समिति का मानना है कि ऐसा करने से बेवजह जीएसटी की व्यवस्था जटिल हो जाएगी। चूंकि जीएसटी का उद्देश्य ही केंन्द्र और राज्यों में अप्रत्यक्ष करों के ढांचे में एकरूपता लाना है, इसलिए समिति ने इन उत्पादों को किसी तरह की रियायत देने से इन्कार किया है। अलबत्ता इसका अंतिम फैसला लेने का कानूनी अधिकार समिति ने जीएसटी काउंसिल को ही देने का फैसला किया है।

वस्तु व सेवा कर अधिनियम पर राज्यों के साथ हुई बातचीत में समिति को पता लगा कि कानून पर देरी की मुख्य वजह राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपायी को लेकर है। जिन राज्यों का कर संग्रह काफी अधिक है, उनकी आशंका थी कि जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें वित्तीय नुकसान होगा। इस आशंका के चलते जीएसटी में हुई देरी के बावजूद सरकार ने समस्या के निदान के लिए कोई तंत्र इस कानून के मसौदे में नहीं सुझाया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.8.2013)**

करबिगहिया में खुला तीसरा प्रवेश द्वार

आखिर पिछले कई महीनों से चल रही तैयारियों के बाद 5.8.2013 को करबिगहिया में नया प्रदेश द्वार खुल ही गया। रेल महाप्रबंधक मधुरेश कुमार ने इस परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही दस नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थित वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, आठ नंबर प्लेटफॉर्म के वाशेबल एप्रॉन सहित अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़ी सेवाओं की भी शुरुआत हुई। **(साभार : हिन्दुस्तान , 6.8.2013)**

सेवा कर की अवहेलना संज्ञेय अपराध

सेवा कर दाता ध्यान दें। अगर आपने सेवा कर की राशि का समुचित भुगतान समय पर नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है। वित्तीय विधेयक, 2013 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क व कस्टम के प्रावधान में कुछ बदलाव हुए हैं। जिसके अनुसार अब सेवा कर की अवहेलना को संज्ञेय अपराध माना जायेगा। इस संबंध में मई, 2013 में ही आदेश जारी हो चुका है।

यह होगा मापदंड : • 50 लाख या अधिक राशि की सेवा कर अपवंचना करने पर तीन वर्ष का कारावास • 50 लाख से कम राशि की सेवा कर अपवंचना करने पर एक वर्ष का कारावास • गलत खाता, अन्य से राशि लेकर जमा नहीं करने पर या जानबूझ कर सेवा कर का भुरगतान नहीं करने के आरोप पर एक वर्ष का कारावास।

आयुक्त तय करेंगे दंड : सेवा कर अपवंचना या अन्य अनियमितता के मामले में आरोप तय कर दंडात्मक कार्रवाई का अधिकृत अधिकारी मुख्यालय के आयुक्त को बनाया गया है। वे ही कर अपवंचना या अन्य आरोप के संबंध में कार्रवाई के लिए सेवा कर अधीक्षक या उससे ऊंचे स्तर तक के अधिकारी को आदेश देंगे।

(साभार : दैनिक जागरण, 6.8.2013)

TRADE LICENCE MUST FOR SHOPS

Patna Municipal corporation (PMC) is gearing up to put in place a system that would make licences compulsory for shops and other commercial establishments.

All shops, street vendors and even chicken and meat sellers would soon need to compulsorily get trade licence from the civic body.

Shopkeepers would need to cough up Rs 2,000 to apply for the trade licence, while it would be given for free to street vendors. PMC has framed the corresponding guidelines and proposals in this regard would be floated at the next meeting of its empowered standing committee for approval. ***(Details: Telegraph, 5.8.2013)***

शहरवासियों को सौगात, यहां होगी पार्किंग

बेली रोड स्थान	पार्किंग की क्षमता
विद्युत भवन के सामने सड़क के दक्षिण तरफ	25
राजवंशीनगर हनुमान मंदिर के दक्षिण तरफ	20
पटना वीमेंस कॉलेज के पास	20
रूकनपुरा शिव मंदिर के पास	60
रूकनपुरा शिव मंदिर व एक्सिस बैक के बीच	60
लीलीपुट फुट वर्ल्ड शॉप के निकट	30
लेंदर वर्ल्ड के निकट	70
मुंदर शाह कोल्ड स्टोरेज के पास	100
शेखपुरा मोड़ के पास	08
कंकड़बाग पथ सं. दो. पुराना बाइपास मुन्ना चौक से पूरब कुम्हार टोली	20
पीपुल्स कम्यूनिटी हॉल से विकलांग भवन तक उत्तर तरफ	20
बैंक ऑफ बड़ौदा के पास	20
सुपर मार्केट 99 के सामने	15
राजेन्द्र नगर आरओबी से सेंट्रल स्कूल तक उत्तर तरफ	20
शौचालय से श्रीराम नर्सिंग होम	20
बिजली ऑफिस के सामने	24
एसबीआई के सामने	10
राजेंद्र पथ सीडीए भवन से भट्टाचार्या रोड तक	15
ज्ञान गंगा के पास	16
कदमकुआं में ज्ञान गंगा के पास	18
साहित्य सम्मेलन के सामने	11
शिवा स्वीद्स के निकट	08
अमित मेडिकल के निकट	09
क्रेमेटरी के निकट	24
राज रंग शॉप के निकट	11
आर के एवन्यू पथ पंप हाउस दिनकर गोलंबर से पूरब	10
राज फर्निचर शॉप के निकट	20
आशा ट्रेडर्स के निकट	26
आर्य कुमार रोड वैशाली गोलंबर से दिनकर गोलंबर तक डिवायडर पर तीरछा	10
कंकड़बाग मुख्य पथ टाइम्स ऑफ इंडिया के पास	10
कुम्हरार के पास सड़क के दक्षिण	10
राजेंद्र नगर आरअेबी के पश्चिम लीलीपुट के पास	10
अशोक राज पथ एस. के. मेमोरियल हॉल के सामने	20
संत जोसेफ के सामने	20
चिल्ड्रेन पार्क के पास गांधी मैदान के तरफ	15
काली मंदिर के पास	15
मगध महिला कॉलेज से पटना भवन कार्यालय तक दक्षिण तरफ	15
पुलिस ऑफिस के सामने	10
फ्रेजर रोड महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स	05
दारोगा राय पथ पंच मंदिर से सहजानंद भवन पथ के पूरब तरफ	15
मैंगल्स पथ केबी सहाय के मूर्ति से पूरब तरफ पुल निर्माण निगम के कार्यालय तक	20
पेसू पीएचईडी कार्यालय के उत्तर	15
कंकड़बाग पथ संख्या एक टेम्पो स्टैंड के निकट	08
बोरिग रोड एएन कॉलेज के बगल में	96
सहदेव महत्तो मार्ग एस. के. पुरी पार्क के निकट	45
दोनों रोड के बीच में	40
स्टैंड रोड इको पार्क के निकट	150
बोरिंग कैनाल रोड दोनों पथ के बीच	400
टेम्पो स्टैंड पटना जंक्शन से सटे टाटा पार्क	40
श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने काली मंदिर के पास	65
नाला रोड दिनकर गोलंबर से सटे पेट्रोल पंप के पास	20

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.8.2013)

सेल्स टैक्स करेगा 'स्लिप रूटों' की नियमित जांच

बिना वैध कागजात के बिहार में माल लाने वालों पर वाणिज्य कर विभाग ने नकेल कसा है। इस बार विभाग ने दो नंबर के माल के लिए बदनाम स्लिप रूटों (चेकपोस्ट के अतिरिक्त सुबे में प्रवेश के वैकल्पिक मार्ग) पर कड़ाई करने का निर्णय लिया है। विभाग ने अपने धावा दल को मजबूत किया है।

• वाणिज्य कर विभाग में काम करेंगे 10 की जगह 34 धावा दल • आज से ही शुरु होगी जांच राजधानी की सीमाओं पर 4 टीमों की तैनाती • स्लिप रूट बक्सर, जमुई, औरंगाबाद-हरिहरगंज रोड, सारण में गुठनी, मांझी, भागलपुर में धावा दल तैनात • 4 टीमें रेलवे से आने वाले माल की जांच करेगी • बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों की होगी नियमित जांच • चेकपोस्ट से प्रवेश करने वाले ट्रकों की दोबारा जांच के लिए हर रूट में तैनात हुला एक दल।

(साभार : दैनिक जागरण, 6.8.2013)

सुविधाएं बढ़ी नहीं, बढ़ाया टैक्स

• एक साल में निगम में जमा कराने होंगे लगभग छह हजार रुपये टैक्स
• सालाना ट्रेड लाइसेंस फीस वसूलने की तैयारी

नगर निगम ने दोगुने होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। कर संग्राहकों को नयी दर तालिका भी उपलब्ध करा दी गयी है। अन्य करों की वसूली के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। घर-घर कचरा वसूली शुल्क व जल कर को नगर ने सशक्त स्थायी समिति व बोर्ड से पारित कर अंतिम निर्णय के लिए सरकार के पास भेजा है। सरकार की मुहर लगते ही इसकी वसूली भी शुरू कर दी जायेगी। ट्रेंड लाइसेंस से संबंधित प्रस्ताव भी सशक्त स्थायी समिति ने पास कर दिया है। अब बोर्ड से पास कर इसे सरकार के पास भेजा जायेगा, जहां से अनुमति मिलने पर इसकी वसूली भी शुरू हो जायेगी। इस कर से गरीब व्यापारियों को मुक्त रखा गया है। उन्हें मामूली प्रोसेसिंग शुल्क सलाना देना होगा। (विस्तृत समाचार : प्रभात खबर, 8.8.2013)

सोलह से मोबाइल मनी आर्डर सेवा

राज्य के 23 सौ डाकघरों में 16 अगस्त से मोबाइल मनीआर्डर सेवा का विस्तार किया जाएगा। इसके पहले 123 डाकघरों में प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। यह सेवा उन लोगों के लिए वरदान है जिनका बैंक या डाकघर में खाता नहीं है। वे आसानी से मोबाइल मनीऑर्डर के जरिये पैसा अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

सबसे खास बात है इसके लिए किसी प्रकार के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपके पास मोबाइल होना आवश्यक है । इस सेवा के तहत पैसे को देश में कहीं भी तुरंत हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके लिए डाक विभाग न्यूनतम शुल्क लेता है। 1000-1500 रुपये के लिए 45 रुपये और 1500-5000 रुपये के लिए 79 रुपये चार्ज लिये जाते हैं। (विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 8.8.2013)

आनलाइन पास होंगे नक्शे

राजधानी में बहुमंजिली इमारतों समेत सभी तरह के भवनों का नक्शा ऑनलाइन पास होगा। नगर निगम प्रशासन ने योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है तीन माह के अंदर नेट के माध्यम से नक्शे के लिए आवेदन करने और पास करने की व्यवस्था लागू होगी।

नगर निगम की वेबसाइट www.pmcbihar.in पर प्लान केस और नक्शों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। मैनुअल नक्शा पास करने की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी। वास्तुविदों को नेट के माध्यम से ही नक्शा जमा करना होगा।

(साभार: हिन्दुस्तान, 29.7.2013)

पैकेज 20 तक नहीं लिया तो टीवी बंद

राजधानी के केबल उपभोक्ता 20 सितम्बर तक फार्म और केबल पैकेज की सूची ऑपरेटरों को नहीं देते हैं तो उनका प्रसारण बंद कर दिया जाएगा।

ट्राई ने सभी केबल ऑपरेटरों को दिया निर्देश

क्या करें केबल उपभोक्ता : राजधानी पटना के सभी उपभोक्ता अगले एक सप्ताह के बाद अपने ऑपरेटरों से केबल पैकेज की मांग करें। साथ ही उपभोक्ता अपने केबल ऑपरेटर से यह भी जानकारी लें कि सेटटॉप बॉक्स का उन्होंने जो फार्म भरवाया था, वह रिकार्ड में ठीक से रखा है या नहीं।

फार्म में क्या चाहिए : उपभोक्ताओं को केबल पैकेज के साथ-साथ एक उपभोक्ता फार्म भी भरकर देना है। फार्म के साथ एक फोटो और एक आईडी प्रूफ भी देनी है। फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर रखी गई है।

(विस्तृत समाचार: हिन्दुस्तान, 8.8.2013)

दुकान में पॉलिथीन रखा तो नपेंगे

डस्टबिन नहीं रखने व कूड़ा सड़क पर गिराने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी शुरू

नगर निगम ने डस्टबिन नहीं रखने और कूड़ा सड़क पर गिराने वाले दुकानदारों व 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ छोपमारी शुरू कर दी है। (विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान , 30.7.2013)

बिजली पहुंचाना है बड़ी चुनौती

बिहार ने बिजली का जुगाड़ तो कर लिया है लेकिन अब उपलब्ध बिजली को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यह बड़ी चुनौती है। सूबे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना सक्षम नहीं कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति कर सके। गांवों की कौन कहे कस्बों और शहरी इलाकों में भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति बदतर है।

डिस्ट्रीब्यूशन खस्ताहाल : • अगले दो वर्षों में 5000 मेगावाट बिजली होगी बिहार के पास • डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुरुस्त करना सबसे बड़ी समस्या।

2015 में कहां से कितनी बिजली

बिजलीघर	मेगावाट
कांटी (पुरानी यूनिट)	220
बरौनी	220
बाढ़ (नई यूनिट)	660
कांटी: (नई यूनिट)	390
सेन्ट्रल सेक्टर	2100
बाजार से	1000
पनबिजली-सौर व अन्य	400

2600-2700 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन की मौजूदा क्षमता

4000-6000 मेगावाट तीन से चार वर्षों में क्षमता बढ़ाने की जरूरत

545 मौजूदा पावर सब स्टेशनों की संख्या

200 विभिन्न योजनाओं में बनेंगे नए स्टेशन

"दो वर्षों में हमारे पास जरूरत से अधिक बिजली होगी। पर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए चुनौती है। हमने जरूरत की बिजली का इंतजाम कर अपना पहला लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब दूसरे टास्क को पूरा करने के लिए हम युद्धस्तर पर प्रयास करेंगे।" – **विजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री

(साभार : हिन्दुस्तान 29.7.2013)

हुनरमंद होंगे बिहार के कामगार

• श्रमिकों के प्रशिक्षण पर बिहार सरकार अगले 5 साल में करेगी तकरीबन 45,000 करोड़ रुपये खर्च • हर साल कम से कम 20 लाख कामगारों को मिलेगा अपने कामों का प्रशिक्षण

बिहार सरकार ने अब अकुशल श्रमिकों के कौशल विकास पर जोर देने का फैसला लिया है। सरकार ने हर साल कम से कम 20 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले पांच सालों में करीब 45,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 26.7.2013)

अब प्राधिकरण तय करेगा रेल किराया

रेल किराया तय करने में आने वाले दिनों में राजनीति की गुंजाइश खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार ने रेल किराया और माल भाड़ा तय करने के लिए रेल टैरिफ प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सरकार की 10 फीसद हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई ।

(साभार : दैनिक जागरण, 2.8.2013)

रिटेल निवेश के नियम बदले

मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ के लिए सरकार उन सभी नियमों में छूट देने को राजी हो गई है जो घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिहाज से नीति से शामिल किए गए थे। सरकार ने न सिर्फ लघु उद्योग से 30 फीसद खरीद के नियम को विदेशी कंपनियों के लिए सरल बना दिया है, बल्कि अब राज्य चाहेंगे तो विदेशी कंपनियाँ किसी भी शहर में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खोल सकेंगी।

एफडीआइ के फैसले

उद्योग	मौजूदा सीमा (तरीका)	बदलाव (तरीका)
पेट्रोलियम/प्राकृति गैस	49 फीसद (एफआइपीबी)	49 फीसद (ऑटोमेटिक)
कमोडिटी एक्सचेंज	49 फीसद (एफआइपीबी)	49 फीसद (ऑटोमेटिक)
पावर एक्सचेंज	49 फीसद (एफआइपीबी)	49 फीसद (ऑटोमेटिक)
स्टॉक एक्सचेंज	49 फीसद (एफआइपीबी)	49 फीसद (ऑटोमेटिक)
बीमा	26 फीसद (ऑटोमेटिक)	49 फीसद (ऑटोमेटिक)
असेट्स रिकंस्ट्रकशन कंपनी	74 फीसद (एफआइपीबी)	100 फीसद (49 फीसद ऑटोमेटिक 49 से ज्यादा एफआइपीबी)
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो	49 फीसद (एफआइपीबी)	74 फीसद (ऑटोमेटिक)
सिगंल ब्रांड रिटेल	100 फीसद (एफआइपीबी)	100 फीसद (49 फीसद ऑटोमेटिक व इसके बाद एफआइपीबी)
बेसिक, सेलुलर फोन	74 फीसद (49 फीसद ऑटोमेटिक)	100 फीसद (49 फीसद ऑटोमेटिक और इसके बाद एफआइपीबी)

(साभार : दैनिक जागरण, 2.8.2013)

दस्तावेज निबंधन दरों में फिर भारी वृद्धि

वसीयत कराना भी हुआ पांच गुना महंगा, नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू

अभी जमीन के सर्किल रेट में अप्रत्याशित वृद्धि का मामला थमा भी नहीं था कि अचानक आम लोगों से जुड़े कई तरह के दस्तावेजों के निबंधन की दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। यह शुल्क वृद्धि सौ से पांच सौ फीसद तक कर दी गई है।

• डेवलपमेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री सौ से पांच सौ गुना बढ़ी • सर्किल रेट के बाद बढ़ाई गई अन्य मामलों की निबंधन दरें • अब दूसरे निबंधन कार्यालय क्षेत्र की जमीन रजिस्ट्री कराना 300 फीसद महंगा

दस्तावेज	पहले	अब
वसीयतनामा	₹ 400	₹ 2000
पार्टनरशिप डीड	₹ 250	₹ 1000
डेवलपमेंट एग्रीमेंट	₹ 250	₹ 2000-100000
गोदनामा (एडाप्शन) डीड	₹ 250	₹ 2000
पावर आफ अटर्नी	₹ 250	₹ 1000
आई फी	₹ 175	₹ 5000
कमीशन फी	₹ 750	₹ 5000
विलंब शुल्क	₹ 5 प्रतिदिन	₹ 100

(साभार : दैनिक जागरण, 28.7.2013)

21 जिलों में मोबाइल से जमा करें बिजली बिल

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी का एयरटेल से समझौता

कैसे होगा भुगतान : • पहला चरण - एयरटेल मोबाइल से *400# डायल करके एयरटेल मनी में रजिस्ट्रेशन • **दूसरा चरण** - किसी एयरटेल मनी दुकान पर जाकर बैलेंस (नकद) डलवाना • **तीसरा चरण** - फिर से *400# पर बताए गए ऑप्शन के जरिए बिल का भुगतान।

इन जिलों में सुविधा : प.चम्पारण, पू. चम्पारण, सीतामढ़ी शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.8.2013)

कंज्यूमर नंबर के बिना दर्ज नहीं होगी शिकायत

आपके घर की बिजली अगर स्थानीय तकनीकी खराबी से बाधित होती है तो आप तुंरत नि: शुल्क हेल्प लाइन नंबर 18003456198 पर शिकायत दर्ज कराये। इस नबंर पर 24 घंटे राज्यभर के उपभोक्ता अपनी शिकयत दर्ज करा सकते हैं। यहां दर्ज शिकायत की निगरानी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी करते हैं।

बिजली बिल में त्रुटि व रीडिंग न होने पर डायल करें 2233479

यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपने बिजली बिल पर अंकित कंज्यूमर नंबर याद रखना होगा। अन्यथा आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। राजधानी के उपभोक्ता हेल्प लाइन के साथ पेसू पर कंट्रोल रूम के नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पसू कंट्रोल का नंबर 2280014 और 2280024 है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान मुख्यालय में बिजली बिल में त्रुटि रहने तथा बिजली बिल नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराने का केन्द्र खुला है। यह केन्द्र सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुला रहता है। इस केन्द्र का नंबर 2233479 है। अगर यहां शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आपकी समस्या का समुचित समाधान नहीं निकलता है तो हेल्प लाइन में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 26.7.2013)

तीस नवम्बर तक जुर्माना नहीं खुद बढ़ा सकते हैं बिजली लोड

राजधानी पटना समेत सूबे के विद्युत उपभोक्ता अपने घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले बिजली के लोड की जांच अब खुद कर इसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बिजली की दोनों वितरण कंपनियां साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक स्कीम तैयार की है जो इसी महीने से लागू हो गयी है। यह स्कीम 30 नवम्बर 2013 तक जारी रहेगी।

• वितरण कंपनियों का वॉलेन्ट्री डिक्लेरेशन ऑफ लोड स्कीम शुरू • 30 नवम्बर 2013 तक उपभोक्ता स्वयं घोषणा पत्र भरकर बढ़ा सकते हैं लोड • घोषणा पत्र के साथ बढ़े हुए लोड की राशि को अपने संग्रहण केन्द्रों पर जमा करें • अधिक जानकारी के लिए bsph-cl.bih.nic.in, nbpdcl.in के बेवसाइट पर देखें • निर्धारित तिथि के बाद न्यूनतम 3000 एवं अधिकतम 11500 जुर्माना।

(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 29.7.2013)

सुबह 8 से रात 8 बजे तक जमा करें बिल

अब कामकाजी लोगों को अब ऑफिस का काम छोड़कर बिजली बिल जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेसू मुख्यालय स्थित न्यू कैपिटल डिविजन के सभी बिल काउंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। फिलहाल यह सुविधा न्यू कैपिटल डिविजन में शुरू हुई है। सफलता के बाद सभी इलाके में बिल काउंटरों का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया जाएगा।

ऐसे भी जमा कर सकते हैं : • पांच जगहों पर खुली एटीपी मशीनों पर • चौक-चौराहों पर बिल कैम्पों में • किसी बिल काउंटर पर किसी भी इलाके के बिल जाम कर सकेंगे • ऑनलाइन भी कर सकेंगे भुगतान • केनरा बैक सहित विभिन्न बैकों से भी जमा कर सकते हैं बिल जमा • घर पर ही एटीएम के जरिए बिल जमा करने की सुविधा (अगस्त में चालू होगी)

फ्यूजकॉल सेंटरों के फोन नम्बर

• **न्यू कैपिटल डिविजन** : एनसी पैनल : 2215346 • एमएलए फ्लैट : 2504781 • बोर्ड कॉलोनी : 2287167, 2286171 • **डाकबंगला डिविजन** : मौर्यालोक : 92349510 • बंदरबगीचा : 9234919365 • पाटलिपुत्र : 2262257 • एएन कालेज : 2275345 • एसके पुरी : 2540763 • सदाकत आश्रत : 2260164 • **दानापुर** : दीघा ओल्ड : 8252425196 • खगौल : 3208010 • वाल्मी: 9693051426• गड़ीखाना : 9308134573 • फुलवारीशरीफ: 9304664117• गर्दनीबाग: जक्कनपुर सबडिविजन : 2241555 • गर्दनीबाग : 9334667258 • अनीसाबाद: 2252236

• **बांकीपुर** : एस. के. ममोरियल : **9234140698, 8294859995** • पीएमसीएच : **386016188, 9525567936** • यूनिवर्सिटी सेक्शन : **9525567936** • राजेन्द्रनगर : **2672853, 9906777155** • सैदपुर : **2685237, 9906777155** • मछुआ टोली : **2671053, 8877935675** • मुसल्लहपुर सेक्शन : **9334872602** • कंकड़बाग : **8873801406, 9504575647** • कंकड़बाग वेस्ट सेक्शन : **9931438143** • हनुमाननगर सेक्शन : **9162881620** • बहादुरपुर : **9304225446, 7870981330** • कुम्हरार सेक्शन : **7209106284** • आरके नगर : **9234990447, 9709059123** • करबिगहिया: **6420051, 9801248061** • करबिगहिया ईस्ट सेक्शन : **9334810830**

पेसू कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नम्बर

18003456198, 0612-2280014, 0612-2280024

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.7.2013)

फ्यूज कॉल के लिए उपभोक्ता इन नम्बरों पर करें कॉल

• मीनाबाजार : **2631268** • गायघाट : **9122098333** • पादरी की हवेली : **9835629111** • मंगल तालाब : **9661014508** • पत्थर की मस्जिद : **8083734552** • एनएमसीएच : **2632299** • मारुफगंज : **9835200023** • कटरा बाजार : **9199093603** **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2013)**

रघुराम राजन करेंगे सुब्बाराव के अधूरे काम को पूरा

वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम जी. राजन को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। राजन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर डी. सुब्बाराव की जगह लेंगे, जो अगले महीने चार सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजन का कार्यकाल तीन साल का होगा। एक नजर राजन के अब तक के सफर पर–

"यह चुनौतीपूर्ण समय है। इससे निपटने के लिये सरकार-रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, जिससे समस्याएं एक झटके में समाप्त हो जाएं। पर हम इससे निपट लेंगे।

– रघुराम राजन, नव नियुक्त गवर्नर, आरबीआई

करियर : • 1991में शिकागों यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर • अक्टूबर 2003 से दिसंबर 2006 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री • नवंबर 2008 में भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए • 10 अगस्त 2012 को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

उपलब्धियां : आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले भारतीय मूल और किसी भी विकासशील देश के सबसे युवा और पहले व्यक्ति रहे। रघुराम राजन ने वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की थी, जो पूरी दुनिया के सामने आई।

जन्म : 03 फरवरी 1963 (भोपाल)

शिक्षा : • सातवीं कक्षा तक विदेश में पढाई • स्कूल की बाकी की पढाई दिल्ली से • 1985 में आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिग में ग्रेजुएशन • आईआईटी दिल्ली में गोल्ड मेडल मिला था रघुराम राजन को • 1987 में आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) • 1991 में मस्साचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से मैनेजमेंट में पीएचडी। **(साभार: हिन्दुस्तान, 7.8.2013)**

किस्त भुगतान के लिए नहीं देना होगा पोस्ट डेटेड चेक : आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेशानुसार वाणिज्यिक बैंकों से वाहन और आवास ऋण लेने वाले ग्राहकों को अब किस्तों का भुगतान करने के लिए पोस्ट डेटेड चेक नहीं देने होंगे।

आरबीआई ने बैंको के नाम जारी अधिसूचना में कहा है कि ऐसे स्थानों पर जहां बैंकों में इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग की सुविधा उपलब्ध है, ग्राहकों से किस्त पोस्ट डेटेड चेक के जरिए नहीं लिए जाएंगे। पहले से दिए ऐसे चेक भी अब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए ही भूनाए जाएंगे। आरबीआई के मुताबिक इससे ग्राहकों को बड़ी संख्या में चेकबुक के लिए बैंकों के पास आवेदन नही करना होगा। आरबीआई के मुताबिक यदि खाते में पैसे नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रानिक पद्धति से भुगतान निरस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चेक जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवायी नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के तहत ही की जाएगी। आरबीआई के मुताबिक जिन बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ वही चेक मान्य होगे जो सीटीएस 2010 मानक के अनुरूप होंगे। **(साभार : आज, 26.7.2013)**

कंपनी विधेयक पर राज्य सभा की लगी मुहर

कंपनी अधिनियम बनाए जाने के 57 साल और उदारीकरण के 20 साल बाद बेहतर कंपनी प्रशासन, निवेशकों की सुरक्षा, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और धोखाधड़ी रोकने के लिए भारत नया कंपनी कानून बनाने के करीब पहुंच गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित कंपनी विधेयक 2012 राज्यसभा से पारित हो गया जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस कानून के कई विंदुओं पर अभी तक आम सहमति नहीं बना पाए हैं। संसदीय समिति ने इस विधेयक की दो बार जांच की और लोकसभा ने इसे दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी। अब इस पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी हैं और तभी यह कानून बन पाएगा।

कंपनी विधेयक में क्या है खास : • पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध मुनाफे का 2 फीसदी सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य • सीएसआर के लिए विशेष गतिविधियों का उल्लेख • पर्यावरण सुरक्षा, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल, सामाज के लिए व्यावसायिक परियोजनाओं का सीएसआर में उल्लेख • प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान, विकास और राहत के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी भी फंड में योगदान • कंपनी बंद करने की स्थिति में कर्मचारियों को दो वर्षों का वेतन देना अनिवार्य।

नए कंपनी विधेयक की मुख्य बातें

➤ **आखिर हमें कंपनी कानून की क्या आवश्यकता है?**
कंपनी अधिनियम 1956 में अब तक 25 संशोधन हो चुके हैं और यह नए आर्थिक और कॉरपोरेट मामलों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। इसलिए नए कानून की जरूरत है।

➤ **कितना समय लगा?**
चार साल। पहले इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2009 को बतौर कंपनी विधेयक 2009 पेश किया गया था।

➤ **विधेयक के ताजा संस्करण में क्या है?**
पिछले साल अगस्त में वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी थी और लोकसभा ने इसे दिसंबर में पारित किया था।

➤ **क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं?**
इसे काफी मेहनत से फिर से लिखा गया है और इसमें निवेशकों की सुरक्षा, बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस और निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है। नए शब्दों को फिर से पारिभाषित किया गया है।

➤ **विधेयक में नए कॉरपोरेट टर्म को कैसे पारिभाषित किया गया है?**
विधेयक में सीईओ, सीएफओ समेत 33 नई परिभाषाएं शामिल हैं।

➤ **निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं?**
क्लास एक्शन सूट, वित्तीय दस्तावेजों को बेहतर तरीके से सार्वजनिक किया जाना और निदेशकों के हितों का खुलासा आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

➤ **धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या किया गया है?**
भेदिया कारोबार पर लगाम लगाने के साथ-साथ गैर नकदी कारोबार पर प्रतिबंध जिसमें निदेशकों को शामिल किया गया है।

➤ **कारोबार हितैषी उपाय क्या हैं?**
सिंगल पर्सन कंपनी, महिला निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान, निजी कंपनी में व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 200 किया जाना और ई वोटिंग को मान्यता दी गई है।

➤ **अब क्या होगा?**
अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कंपनी अधिनियम के मसौदा नियमों को सार्वजनिक किया जाएगा और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.8.2013)

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पृष्ठ 1 का शेष....
कार्यालय है। उन्होंने कहा कि यहां पासपोर्ट बनाने के लिए सरल प्रक्रियायें अपनायी जा रही है ।

उन्होंने कहा कि वर्त्तमान समय में पुलिस वेरिफिकेशन का काम भी आनॅलाईन शुरू किया गया है। गत 16 जुलाई से पटना, बेतिया, किशनगंज एवं बांका जिले में ऑनलाईन पुलिस रिपोर्ट सेवा शुरू की गयी है। जल्द ही 12 जिलों में भी उक्त सेवा शुरू हो जायेगी। सफलता अप्रत्याशित रहने पर सभी 38 जिलों में ऑनलाईन पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। तत्काल पासपोर्ट सम्बन्धी सुझाव के सम्बन्ध में श्री कुमार ने कहा कि सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी एवं एसोचैम के वरिष्ठ अधिकारी से लिखित आवेदन के बाद तत्काल पासपोर्ट बनाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया चैम्बर के लिए भी शुरू करने की बात पर श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष बात रखी जायेगी। चैम्बर इस सुझाव को अपने लेटर पैड पर दे। वहीं पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र में एक ही आईडी पर एक ही परिवार के तीन से ज्यादा सदस्यों का पासपोर्ट बनाने सम्बन्धी सुझाव पर कहा कि इस बात को टेक-अप किया जा रहा है। इस सुझाव को बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा । उन्होंने कहा कि बिहार में मान्यता प्राप्त मिनी पासपोर्ट कार्यालय केन्द्र को आधुनिक सुविधा मुहैया करायी जायेगी। इसके तहत बेतिया, सिवान, दरभंगा एवं पटना में स्थापित मिनी पासपोर्ट कार्यालय को जल्द ही ऑनलाईन किया जायेगा ।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी० पी० लोहिया, श्री मोती लाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित चैम्बर सदस्य एवं प्रेस प्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थित थे ।

महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए योगदान बढ़ाएं

इपीएफओ को श्रम मंत्रालय को पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पेंशन योजना इपीएस-95 में सरकार का योगदान मौजूदा मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत से बढ़ा कर 1.79 प्रतिशत करने की वकालत की है। इपीएफओ ने श्रम मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि सभी पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपया मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इपीएस-95 (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के तहत सरकार का योगदान मौजूदा 1. 16 प्रतिशत से बढ़ा कर 1.79 प्रतिशत करने का मजबूत मामला है।

इपीएफओ के अनुसार सभी वर्ग के पेंशन भोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन का 0.63 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान जरूरी है। अब श्रम मंत्रालय को इसके लिए यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाना होगा। इपीएफओ पेंशन योजना में सरकारी योगदान बढ़ाने पर जोर दे रहा है क्योंकि न तो कर्मचारी और न ही नियोक्ता अतिरिक्त 0.63 प्रतिशत का योगदान करने को तैयार है ताकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 1,000 मासिक पेंशन मिल सके। फिलहाल नियोक्ता कर्मचारियों के पेंशन खाते में 8.33 प्रतिशत का योगदान देता है।

इसके अलावा 1.16 प्रतिशत योगदान सरकार देती है। इपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2010 की स्थिति के स्थिति के अनुसार कुल 35 लाख पेशनभोगी संगठन से जुड़े थे। इनमें से 14 लाख लोगों को 500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है।

वर्तमान हिसाब

मौजूदा परिदृश्य में केंद्र सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन (मूल वेतन जमा महंगाई भता) का 1.16 प्रतिशत इपीएस-95 में देती है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार इपीएस-95 कोष में 1,900 करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसमें कुछ बकाया शामिल है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार अगर केंद्र सरकार इपीएस-95 में दिस्सेदारी बढ़ा कर कर्मचारियों के मूल वेतन का 1.79 प्रतिशत करने का निर्णय करती है तो उसे चालू वित्त वर्ष में 750 से 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 तक अतिरिक्त योगदान बढ़ कर 1.400 करोड़ रुपये हो जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 10.8.2013)

'Panel deciding backwardness norms' SPL STATUS TO BIHAR

The expert committee constituted under the chairmanship of Centre's economic adviser G Raghuram Rajan to consider and devise composite development index (CDI) for determining relative backwardness of poorer states vis-a-vis developed states in the country has now started working on various models to collate, compare and finally define the final set of parameteres.

The CDI so reached and accepted by the expert committee would also set the road for the devolution of money from the centre by way of special central assistance to the poorer states to sustain their economic development. The committee had been constituted after several states, including Bihar, Odisha and Jharkhand among others, started demanding special category status to them.

"The parameters finally accepted would influence the decisions of both the Planning Commission and Finance Commission instrumental behind the devolution of finances to the poorer states for their sustained economic development" said Shaibal Gupta, Director of Asian Development Research Institute (ADRI) and member of the expert committee representing the poorer states.

Details : The Times of India, 6.8.2013)

बिग डाटा सेंटर बनाने वाला पहला राज्य होगा बिहार

बिहार देश का पहला राज्य होगा जो आंकड़ों के आधार पर अपनी योजनाएं ठोक बजाकर तैयार करेगा। जल्द ही राज्य में बिग डाटा सेंटर तैयार करने का काम शुरू होने जा रहा है। आई आईटी दिल्ली व मुंबई के विशेषज्ञों की देखरेख में बनने वाले इस डाटा सेंटर से न सिर्फ भविष्य की योजनाएं बनाने में राज्य सरकार को सहूलियत होगी बल्कि भ्रष्टाचार रोकने से लेकर विधि-व्यवस्था के मामलों में भी मदद मिलेगी।

- ठोक बाजाकर बनेंगी योजनाए भ्रष्टचार पर रोक में भी होगा प्रभावी
- अंचल से लेकर मुख्यालय तक के छोटे-बड़े डाटा होंगे एक जगह
- आईआईटी दिल्ली व मुंबई के विशेषज्ञों की देखरेखा में होगा तैयार
- सोसाइटी का गठन किया जायेगा, खुद मुख्यमंत्री होंगे इसके सचिव
- बतौर सदस्य मुख्य सचिव और डीजीपी को किया जाएगा शामिल

डाटा के जरिए कई और काम भी आसान होगे। दो डाटा के बीच संबंध स्थापित होने से टैक्स चौरी और अन्य मामलों में सटीक और सुलभ जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों का मानना है कि बिग डाटा सेंटर का इस्तेमाल कर सरकार भविष्य की योजनाओं को बेहतर और कारगर ढंग से तैयार कर सकेगी। बिहार पहला राज्य होगा जो इस तरह के आत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल करने जा रहा है बिग डाटा सेंटर को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली और मुंबई आई आईटी के इसके विशेषज्ञों ने सहमति दे दी है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.8.2013)

Coming up, waiting room for AC passengers

Considering the rush of passengers in -AC compartments, the Patna Junction will soon have a VIP waiting room of 500 capacity for passengers of AC classes on platform number-1. A proposal to this effect was sent to the East Central Railway (ECR), Hajipur for approval by the Danapur division recently. ***(Source : H.T., 11-8-2013)***

नया गैस कनेक्शन बीस मिनट के अंदर मिलेगा

आईओसी ने 30 गैस एजेंसियों को सरवर से जोड़ा

एलपीजी ग्राहकों को किसी भी काम के लिए गैस एजेंसियों में ज्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ेना। सभी काम 15 से 20 मिनट के अन्दर हो जाएंगे। चाहे वह ट्रांसफर का केस हो या फिर नए गैस कनेक्शन का। काम में विलंब तभी होगा जब सरवर डाउन रहेगा। वैसे इसकी संभावना काफी कम है।

35 गैस एजेंसी है पटना में आईओसी के
41 लाख ग्राहकों की संख्या है, तीनों कंपनी को मिलाकर
25 लाख ग्राहकों की संख्या है आईओसी के
3-25 करोड गैस सिलेंडर की खपत है सूबे में हर साल

(विस्तृत समाचार: हिन्दुस्तान, 11.8.2013)

CONGRATULATION

Shri Navin Gupta, valued member of the Chamber has been re-elected Vice-President of confederation of Indian IT Association (CIITA). Our congratulations to Shri Gupta.

क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(ISO-9001-2008 से प्रमाणित कार्यालय)

"पंचदीप भवन " जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001 (बिहार)
फैक्स-0216-2533314, वेबसाईट- www.esic.nic.in, E-mail:rd bihar@ecic.in

नियोजक कृपया ध्यान दें

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत व्याप्त सभी नियोजकों (EMPLOYERS) को सूचित किया जाता है कि अपने सभी शाखा कार्यालयों के लिए अलग से सब-कोड प्राप्त करें तथा सभी कार्यालयों के लिए अंशदान जमा करने के लिए अलग-अलग चालान जेनरेट करें। ऐसा नहीं करने से आपके कर्मचारी जो शाखा/फील्ड में कार्यरत हैं, को हितलाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। कृपया सहयोग करें ताकि आपके कर्मचारियों को योजना का लाभ अबाधित रूप से मिल सके। **– क्षेत्रीय निदेशक**

(साभार: हिन्दुस्तान, 7.8.2013)

Details of following contents is available in the Chamber

COMMERCE AND INDUSTRY *• DGFT PUBLIC NOTICE NO. 20 (RE-2013) /2009-14 DATED 29TH JULY 2013 REGARDING INCLUSION OF TAMIL NADU PORT AS PORT OF REGISTRATION • DGFT NOTIFICATION NO. 29 (RE2013) 2009-14 DATED 24 TH JULY 2013 REGARDING AMENDMENTS • DGFT POLICY CIRCULAR NO. 2(RE 2013) /2009-14 DATED 24 TH JULY 2013 REGARDING VALIDITY OF IEC FOR EXPORT ORIENTED UNIT OR UNITS IN SPECIAL ECONOMIC ZONE / EHTP/STP/BTP/AFTER DE-BONDING: REVIEW OF POLICY CIRCULAR*

FINANCE : *• CUSTOMS NOTIFICATION NO. 38/2013 DATED 26TH JULY 2013 REGARDING AMENDMENTS • CUSTOMS NOTIFICATION NO. 80/2013 N. T. DATED 31ST JULY 2013 REGARDING TARIFF VALUE OF CRUDE OIL, BRASS SCRAP, GOLD AND SILVER • CUSTOMS CIRCULAR NO. 28/2013 DATED 1ST AUGUST 2013 REGARDING CLASSIFICATION OF PRODUCTS • CENTRAL EXCISE NOTIFICATION NO. 22/2013 DATED 29 TH JULY 2013 REGARDING EXEMPTION*

RBI : *• RBI CIRCULAR NO. 125 DATED 8TH JULY 2013 REGARDING DEFERRED PAYMENT PROTOCOLS BETWEEN INDIA ERSTWHILE USSR • RBI CIRCULAR NO. 126 DATED 8TH JULY 2013 REGARDING EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS POLICY - NON-BANKING FINANCE COMPANY - ASSET FINANCE COMPANIES*

(ASSOCHAM N&V - vol. 435, 27 July to 2 August 2013)

शहरों को मिलेगी 24 घंटे बिजली

अगले दो वर्षों में पावर सेक्टर में सुधार का दावा अब हकीकत बनता दिख रहा है। जल्द हीं सूबे के 21 शहरों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। राज्य सरकार के टास्क पर पावर होल्डिंग कंपनी ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है।

ये शहर होंगे जगमग : गया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, राजगीर, बक्सर, लखीसराय, दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, हाजीपुर, बेतिया, मधेपुरा, शिवहर।

(साभार: हिन्दुस्तान, 10.8.2013)

अतुल पूमरे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त बने

अतुल पाठक को पूर्व मध्य रेल का मुख्य सुरक्षा आयुक्त बनाया गया है। इसके पहले वे पश्चिम रेलवे मुंबई में अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। 1986 बैच के अधिकारी श्री पाठक को रेलवे बोर्ड में निदेशक (क्राइम) समेत कई महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने का अनुभव है। उन्हें 2009 में इंडियन पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के तहत उन्होंने सिक्यूरिटी कंट्रोल रूम तथा सभी रेलवे सुरक्षा पोस्ट / आउट पोस्ट को कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग से जोड़ने की परिकल्पना की, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग के सिलसिले में वे सिंगापुर व मलयेशिया का भ्रमण कर चुके हैं।

(साभार: प्रभात खबर, 7.8.2013)

एन. के. गुप्ता बने डीआरएम

दानापुर मंडल के नये मंडल रेल प्रबंधक एन. के. गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। इसके पहले दक्षिण रेलवे में मुख्य इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। वे एल. एम. झा के स्थान पर मंडल रेल प्रबंधक बनाये गये हैं। श्री गुप्ता को भारतीय रेल के दक्षिण, उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम सहित सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। आरडीएसओ सहित विशिष्टता वाले कई महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं।

(साभार: प्रभात खबर, 7.8.2013)

तो फिर डबल डेक कोच के साथ दौड़ेंगी ट्रेनें

दिनेंदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही हैं, लेकिन इसके अनुपात में ट्रेनें नहीं बढ़ रहीं हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मालदा रेल मंडल के डीआरएम ने डबल डेकर कोच का एक मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल भागलपुर रेलखंड सरीखे सिर्फ नन इलेक्ट्रीफायड रूटों के लिए है।

यात्रियों को होगी सुविधा : • मालदा डिविजन के डीआरएम ने डबल डेक बोगी का बनाया मॉडल • कपूरथला कोच फैक्ट्री के विशेषज्ञ आ रहे मालदा मॉडल को परखने • डबल डेक कोच के मॉडल में बोगी के अंदर पहले की तरह जगह रहेगी

• 0.8 मीटर मौजूदा बोगियों से अधिक ऊंची होगी • 5.1-5.2 मीटर तक मॉडल कोच की ऊंचाई प्रस्तावित • दोगुने यात्री डबल डेक कोच में कर सकेंगे सफर • 30-35 फीसदी अधिक यात्री ही अन्य रूटों में करते हैं सफर।

(साभार: हिन्दुस्तान, 11.8.2013)

नवीनगर बिजलीघर 2015 तक बनकर हो जाएगा तैयार

नवीनगर बिजलीघर अगले दो वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण भारतीय रेल बिजली कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यहां 250 मेगावाट की चार यूनिट स्थापित की जा रही है।

निर्माण का जारी हुआ शिड्यूल : • पहली यूनिट अगले साल जून में • रेलवे - एनटीपीसी मिलकर बना रहे • बिहार को 250 मेगावाट का लाभ • बिजली संकट से मिलेगी राहत

निर्माण का शिड्यल : • पहला यूनिट : जून 2014 • दूसरी यूनिट : दिसम्बर 2014 • तीसरी यूनिट : जून 2015 • चौथी यूनिट : दिसम्बर 2015

(साभार: हिन्दुस्तान, 12.8.2013)

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वर्ष 2013-14 के लिए कार्यालय से सदस्यता शुल्क का विपत्र भेजा जा चुका है। कई सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है, उनसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र भेजने की कृपा करें।

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296